भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1183

दिनांक 09 **फरवरी**, 2023

एलपीजी पाइपलाइन

†1183. **डॉ. सुभाष रामराव भामरे**:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ.डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री धनुष एम. कुमार:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में रसोई गैस (एलपीजी) पाइपलाइनों का कुल नेटवर्क कितना है और इन पाइपलाइनों के माध्यम से लाने ले-जाने वाली एलपीजी की मात्रा कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंम नियों द्वारा बिछाई जा रही एलपीजी पाइपलाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से एलपीजी पाइपलाइन स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में, विशेषकर महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो इसमें शामिल एजेंसियों के नाम और इस प्रयोजन के लिए निवेश की जाने वाली संभावित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ड.) एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के दौरान सरकार के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं;

(च) विगत आठ वर्षों के दौरान एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने का क्या कारण है;

(छ) क्या सरकार ने एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उद्यम अथवा कंसोर्टियम के गठन का भी प्रस्ताव किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों (पीएसयूस) का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का कुल नेटवर्क 5098 केएमस है तथा वित्त वर्ष 2021-2022 में इन पाइपलाइनों के जरिए कुल 8.926 एमएमटी एलपीजी का परिवहन किया गया है।

(ख) से (ज) एलपीजी पाइपलाइन विस्तार परियोजनाओं और विस्तार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पाइपलाइन विस्तार परियोजना (कि.मी. में लंबाई)	कंपनी / संयुक्त उद्यम	कवर किए गए राज्य
1	कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन (2805)	आईएचबी- आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के संयुक्त उद्यम	गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
2	मुजफ्फरपुर-मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन (107)	आईओसीएल	बिहार
3	नागपट्टिनम - तिरुचरापल्ली (150)	आईओसीएल	तमिलनाडु
4	कोच्चि-कोयंबटूर-इरोड-सलेम एलपीजी पाइपलाइन (केएसपीपीएल) (429)	आईओसीएल औरबीपीसीएल के संयुक्त उद्यम	केरल और तमिलनाडु
5	हल्दिया– पानगढ़ एलपीजी पाइपलाइन (215)	एचपीसीएल	पश्चिम बंगाल
6	नुमालीगढ़ – दबिदुबी पाइपलाइन (15)	एनआरएल	असम

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों (पीएसयूस) द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित चल रही परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु अथवा देश में किसी भी स्थान पर एलपीजी पाइपलाइन बिछाने की कोई भी अन्य योजना नहीं है। वर्तमान में, राज्यों से एलपीजी पाइपलाइन बिछाने का कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

एलपीजी पाइपलाइन विस्तार परियोजनाओं के निष्पादन में कंपनियों के सामने आने वाली कुछ सामान्य चुनौतियों में पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 (पी और एमपी अधिनियम,1962)के तहत भूमि में प्रयोक्ता का अधिकार के अधिग्रहण का निजी भूमि स्वामियों द्वारा विरोध, बहुत अधिक मुआवजे की मांग के कारण सुविधाओं के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में विलंब, अद्यतित भूमि अभिलेखों, सांविधिक मंजूरी जैसे वन और पर्यावरण से संबंधित आदि मंजूरी प्राप्त नहीं होना आदि शामिल है।

***